कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।

पत्र संख्या/3324/ एस0टी0–डी0एम0 / 2020

दिनांकः 20 अप्रैल, 2020

"आदेश"

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या दिनांक 20–04–2020 में अवगत कराया गया है कि "जनपद गाजियाबाद में 06 व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आयी है। वह सब व्यक्ति ऐसे है, जो दिल्ली में किसी न किसी कारणों से गये हुए थे।

मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद की आख्या से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की प्रबल संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेशों तक दिल्ली गाजियाबाद के बीच आवागमन को पूरी तरह से (आवश्यक वस्तुओं एवं अपरिहार्य कारणों को छोडकर, सक्षम स्तर से जारी वैध पास को छोडकर) प्रतिबन्धित किया जाता है।

उक्त आदेश राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 एवं एपिडेक एक्ट के तहत जारी किये जा रहे है । उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

2– समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजियाबाद को इस आशय के साथ कि पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

3– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट जनपद गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ कि पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

जिला मजिस्ट्रेट,
गाजियाबाद।